कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या–1108/LXXXVII-CPC/e-Court/Allahabad दिनांक 20.05.2020 के अनुपालन में दिनांक 22.05.2020 से जिला बुलन्दशहर में जोन के अनुसार न्यायिक कार्य करने हेतु सशर्त आदेश जारी किये गये है। जिला प्रशासन की आख्या दिनांक 21.05.2020 के अनुसार वर्तमान में जनपद बुलन्दशहर के मुख्यालय में स्थित न्यायालय ऑरेंज जोन में है, वाह्य स्थित न्यायालय, खुर्जा कन्टेनमेन्ट जोन में तथा वाह्य न्यायालय अनूपशहर ऑरेंज जोन में है व ग्रामीण न्यायालय, स्याना भी ऑरेंज जोन में है।

अतः सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन जिन जमानत प्रर्थानापत्र/वादों में सुनवाई के दौरान नियत तिथि लगवाई जानी है केवल उन्हीं वादों एवं जमानत प्रार्थना पत्रों की तिथि सी0आई0एस0 सोफ्टवेयर/डायरी में तत्काल लगवायें तथा शेष वादों में सामान्य नियत तिथि सिस्टम आफिसर/कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पूर्व ई–मेल पत्र दिनांकित 31.03.2020, 15.04.2020 एवं 18.05.2020 में सन्दर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक के लॉकडाउन में जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में समस्त न्यायालयों में दिनांक 22.05.2020 से 31.05.2020 के **दाण्डिक** वादों में नियत पत्रावलियों की अग्रेतर नियत तिथि 25 वें दिन की तिथि दिन प्रतिदिन लगाई जायेगी।

उपरोक्त क्रम में दिनांक 22.05.2020 से 31.05.2020 तक के जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में समस्त न्यायालयों में **सिविल** वादों में नियत पत्रावलियों की अग्रेतर नियत तिथि (ग्रीष्मावकाश के कारण) 50 वें दिन की तिथि दिन प्रतिदिन लगाई जायेगी।

सिस्टम आफिसर को आदेशित किया जाता है कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की बेबसाईट पर दिन प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाये।

(नीलकंठ सहाय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुलन्दशहर।

दिनांकः २२-०५-२०२०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन अधिकारीगण।
2. अध्यक्ष एवं सचिव, समस्त बार (खुर्जा एवं अनूपशहर) को अपने अधिवक्ताओं को सूचित करने हेतु।
3. समस्त रीडर एवं कार्यालय लिपिक।
4. सिस्टम ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित हो कि उक्त दिनांक को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरान्त उपरोक्त सम्बन्धित को नियत तिथि की सूचना प्रदत्त करायेंगे।
5. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि समस्त दैनिक समाचारपत्रों में आदेश के साथ–साथ समस्त दिनांकों की सूची को भी प्रकाशन कराये जाने हेतु।

नोट–तिथियों मे अवकाश (मय स्थानीय अवकाश) कम्प्यूटर द्वारा स्वतः ही छोड़ा जा रहा है। सिस्टम ऑफिसर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वार्णित दिनांकों में नियत समस्त पत्रावलियों में जो तिथि सॉफ्टवेयर में इंगित की गयी है, उपरोक्त समस्त को सूचित करें।

सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर द्वारा अग्रसारित की गयी तिथियों को उपरोक्त समस्त को सूचित करते हुए समाचारपत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित करें।

संलग्नक– **Annexure-A**

(नीलकंठ सहाय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

ANNEXURE-A

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ई-मेल के अनुपालनार्थ पूर्व में प्राप्त ई-मेल दिनांकित 31.03.2020, 15.04.2020 व 18-05-2020 के सन्दर्भ में अग्रिम आदेश तक के लॉक डाउन के दौरान सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर में जनपद न्यायालय बुलन्दशहर व बाह्य न्यायालय खुर्जा, अनूपशहर के समस्त न्यायालयों मे दिनांक 22.05.2020 तक लम्बित पत्रावलियों की अग्रेतर नियत तिथि निम्नवत होगीः-

सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर में लम्बित पत्रावलियों की तिथि	**लम्बित पत्रावलियों की अग्रेतर नियत तिथि**	
	फौजदारी वाद(25 वे दिन बाद)	**सिविल वाद(50 वें दिन बाद)**
May 22, 2020	June 23, 2020	July 23, 2020

Vinay Kumar

(VINAY KUMAR)
System Officer
District Court Bulandshahr

(Neel Kunth Sahay)
District Judge
Bulandshahr